चरण-I से चरण-II में अंतरण हेतु एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवा प्रचालित करने हेतु

में

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

और

के बीच

अनुमति मंजूरी करार

<u>अनुमति मंजूरी करार</u>

यह समझौता ..... माह, 2006 की ..... तिथि को एक पक्षकार के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (जिन्हें इसके बाद अनुमति प्रदाता कहा गया है) की ओर से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति और दूसरे पक्षकार के रूप में मैसर्स ....., जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कम्पनी है जिसका कार्यालय ..... में स्थित है (जिन्हें इसके बाद अनुमतिधारी कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में अन्यथा संदर्भ के विपरीत न होने पर कारोबार में उत्तराधिकारी, प्रशासक, परिसमापक तथा नियुक्त व्यक्ति अथवा कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे) के बीच सम्पन्न हुआ है।

जबकि चरण-। के लाइसेंसधारी (जिन्हें इसके बाद अनुमतिधारी कहा गया है) द्वारा चरण-।। नीति व्यवस्था में स्थानांतरित करने का विकल्प चुनने और निविदा दस्तावेज के खण्ड 3.11.12 में दिनांक 13 जुलाई, 2005 को अधिसूचित चरण-।। नीति व्यवस्था में निर्धारित दायित्वों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 के पत्र के जरिए सूचित शर्तों को पूरा करने के अनुसरण में अनुमति प्रदाता ने ..... में एफएम रेडियो प्रसारण चैनल जो ..... श्रेणी में आता है, के अनुरक्षण एवं प्रचालन हेतु इसके बाद संसूचित निबंधन व शर्तों पर अनुमतिधारी

को अनुमति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है और अनुमतिधारी इन शर्तों को स्वीकार करने पर सहमत हो गया है।

अब यह करार निम्नलिखित का साक्षी है :

1. यहां इसके बाद उल्लिखित विषय अथवा संदर्भ में जब तक अन्यथा उल्लेख न हो,- इस करार में शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, से वही अभिप्रेत होगा जिस प्रकार अलग-अलग नीचे निर्दिष्ट किया गया है :-

"लागू प्रणालियों" का आशय वे सभी अपेक्षित उपकरण/प्रणालियां होंगी जो प्रचालनात्मक/तकनीकी तथा गुणवत्ता अपेक्षाओं और अनुमति मंजूरी करार के अन्य निबंधन व शर्तों के अनुरूप लगाए गए हों।

"प्रसारण चैनल" का आशय अनुमतिधारी का पृथक कार्यक्रम मार्ग है जिसमें वीएचएफ एफएम बैंड (87-108 मेगाहट्र्ज) प्रसारण फ्रीक्वेंसी शामिल है जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार चैनल व्यवधानों को कम करने के लिए वायरलेस ऑपरेशनल लाइसेंस द्वारा निर्दिष्ट एवं आबंटित किया गया है।

"प्रसारण उपकरण" का आशय अनुमतिधारी द्वारा कार्यक्रमों के निर्माण, भण्डारण तथा प्रसारण हेतु प्रयुक्त कोई उपकरण होगा।

"प्रसारण सेवा" का आशय एफएम रेडियो चैनलों द्वारा श्रव्य प्रसारण हैं जिनमें मुख्य चैनल पर समाचार तथा समसामयिक मामलों को छोड़कर मनोरंजन, शिक्षा तथा सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना शामिल है।

"चैनल पहचान" का आशय अनुमतिदाता द्वारा अनुमोदित एफएम चैनल का ब्रैण्ड नाम होगा।

"औसत भूभाग से ऊपर एंटीना की ऊंचाई (एचएएटी)" एंटीना विकिरण केन्द्र से वह ऊंचाई है जो प्रत्येक त्रिज्या हेतु एंटीना से 3 तथा 15 कि.मी. के बीच भूभाग की औसत ऊंचाई से अधिक हो।

"औसत भूभाग से ऊपर एंटीना की कारगर ऊंचाई (ईएचएएटी)" उत्तर से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक 45 डिग्री दिगंश के अंतराल पर स्थित 8 त्रिज्या हेतु एचएएटी की औसत ऊंचाई है।

"कारगर रेडिएटेड पावर (ईआरपी)" ट्रांसमीटर आउटपुट पावर और अर्द्ध वेव डाईपोल की तुलना में एंटीना गेन का उत्पाद है।

"फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट" का आशय दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसी विशेष एफएम चैनल को संबंधित तकनीकी पैरामीटरों जैसे आर.एफ. पावर, बैंडविड्थ आदि के साथ आबंटित विशिष्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा।

"अनुमति" का आशय इस करार के अनुसरण में मंजूरी प्रदाता द्वारा अनुमतिधारी को एफएम रेडियो चैनल स्थापित करने के बाबत अनुमति होगी।

"अनुमति मंजूरी करार" अथवा **"करार"** का आशय सभी संशोधनों/सुधारों सहित यह करार होगा।

"आउटसोर्सिंग" का आशय अनुमतिधारी द्वारा कोई समझौता अथवा की गई व्यवस्था से होगा जिसके द्वारा इस कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम विषयवस्तु तथा/अथवा विज्ञापन का निर्माण कार्य किसी अन्य कम्पनी अथवा एजेंसी अथवा किसी अन्य संगठन को सौंपा जाता है।

"कार्यक्रम विषयवस्तु" का आशय अनुमतिधारी के एफएम चैनल में प्रसारण संबंधी की गई प्रस्तुतियां हैं।

"जनहित उद्घोषणा" का आशय केन्द्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा जन हित अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के प्रयोजनार्थ निर्धारित कोई उद्घोषणा है।

"एसएसीएफए" का आशय बेतार एवं समन्वय स्कंध, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार का ''रेडियो फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति'' होगा।

सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों जिनका वर्णन यहां नहीं है और इनका वर्णन निविदा दस्तावेज में है, का आशय निम्नानुसार होगा।

2. अनुमतिधारी की ओर से प्रतिज्ञा-पत्रों के अनुपालन और साथ ही प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक शुल्क, जैसाकि इस करार के निबंधनों में देय योग्य हो, के भुगतान और विधिवत निष्पादन तथा इस समझौते के निबंधन व शर्तों के अनुपालन किए जाने पर विचार करते हुए, प्रदाता एतद्द्वारा गैर-अपवर्जक आधार पर दस (10) वर्ष की अवधि के लिए 1 अप्रैल, 2005 से ..... शहर में एफएम रेडियो प्रसारण चैनल की स्थापना, अनुरक्षण एवं प्रचालन हेतु अनुमति प्रदान करता है।

3. <u>एकमुश्त प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा भुगतान अनुसूची</u>

3.1 अनुमतिधारी अनुमति प्रदाता को प्रत्येक वर्ष उसके एफएम रेडियो चैनल के सकल राजस्व के 4 प्रतिशत की दर से अथवा .....रु. अर्थात् उस शहर हेतु प्रारक्षित एकमुश्त प्रवेश शुल्क की 10 प्रतिशत राशि, जो भी अधिक हो, का वार्षिक शुल्क के रूप में भुगतान करेगा। वार्षिक शुल्क का भुगतान तिमाही आधार पर चार समान किस्तों में किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ चार तिमाही त्रैमासिक अवधि होगी जो क्रमश: 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को समाप्त होगी।

3.1 इस प्रयोजनार्थ सकल राजस्व में सेवा प्रदान करने और इस उद्यम के संसाधनों का अन्यों द्वारा उपयोग किए जाने से उपजित किराया, ब्याज, लाभांश, राजस्व, कमीशन आदि के कारण एफएम रेडियो प्रसारण उद्यम के सामान्य कार्यकलापों के दौरान सृजित रोकड़ प्रवाह, प्रापण तथा अन्य बातें शामिल होंगी। अत: सकल राजस्व की गणना करों तथा एजेंसी कमीशन की कटौती किए बिना ही बिलिंग दरों, विज्ञापनों को दी गई निवल छूट के आधार पर की जाएगी। बार्टर विज्ञापन संविदाओं को भी प्रासंगिक बिलिंग दरों के आधार पर सकल राजस्व में शामिल किया जाएगा। अनुमतिधारी द्वारा अन्य कम्पनियों जिनका स्वामित्व अथवा नियंत्रण अनुमतिधारी के स्वामियों द्वारा किया जाता है, को माल तथा सेवाएं प्रदान करने अथवा उनसे प्राप्त करने के मामले में, ऐसे सभी लेनदेनों का मूल्यांकन सामान्य वाणिज्यिक दरों पर किया जाएगा और अनुमतिधारी के लाभ व हानि खाते में शामिल किया जाएगा।

3.2 प्रथम वर्ष अर्थात् वर्ष 2005-06 का शुल्क इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर एकमुश्त राशि में देय होगा जिसका आधार पिछले वर्ष हेतु सकल राजस्व अथवा अंतिम वर्ष जिसके लिए सकल राजस्व निर्धारित किया गया है अथवा प्रारक्षित एकमुश्त प्रवेश शुल्क सूत्र, जो भी अधिक हो, होगा।

3.3 सकल राजस्व हिस्सेदारी सूत्र के आधार पर एक बार वित्त वर्ष हेतु अंतिम शुल्क निर्धारित कर लिया जाए और यह पाया जाता है कि यह राशि भुगतान किए गए शुल्क से अधिक है, अनुमतिधारी शेष राशि का भुगतान इस प्रकार के निर्धारण

की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर तथा किसी भी स्थिति में आगामी वर्ष के 30 सितम्बर से पहले करेंगे।

3.4 द्वितीय वर्ष से, अनुमतिधारी को पिछले वर्ष के सकल राजस्व अथवा अंतिम वर्ष जिसके लिए सकल राजस्व निर्धारित किया गया हो, के 4 प्रतिशत की दर से अथवा प्रारक्षित ओटीईएफ की 10 प्रतिशत राशि के अग्रिम वार्षिक शुल्क का भुगतान प्रत्येक तिमाही के प्रथम पखवाड़े में और अंतिम वार्षिक शुल्क की बकाया राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक करना होगा।

3.5 अनुमतिधारी को इस करार के निष्पादन से पूर्व .....रु. का अर्थात् उस शहर हेतु प्रारक्षित ओटीईएफ के 10 प्रतिशत के बराबर राशि की अनुमति प्रदाता के पक्ष में एक निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी-।। शीर्षक प्रपत्र में) देनी होगी और संपूर्ण अनुमति अवधि के दौरान इसकी वैधता बरकरार रखनी होगी। निर्धारित वार्षिक शुल्क के भुगतान में चूक होने पर इसे बैंक गारंटी से वसूला जाएगा और यदि यह बकाया राशि अधिक है तो अनुमतिधारी से कहा जाएगा कि वह शेष राशि को पूरा करने के लिए ऐसा करने को कहे जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अतिरिक्त बैंक गारंटियां जमा कराए।

3.6 अनुमतिधारी द्वारा चूक की स्थिति में, अनुमति प्रदाता के पास चूक के प्रथम वर्ष तथा सभी परवर्ती वर्षों के लिए इसके द्वारा निष्पादित कार्य - निष्पादन बैंक गारंटी को भुनाकर वार्षिक शुल्क की वसूली करने का अधिकार होगा। जैसाकि

ऊपर उल्लेख है, अनुमति प्रदाता द्वारा कार्य - निष्पादन बैंक गारंटी भुनाने की स्थिति में, अनुमतिधारी को वार्षिक शुल्क के परवर्ती वर्षों के लिए अनुमति प्रदाता के पक्ष में, बैंक गारंटी भुनाने की तिथि से तीन माह के भीतर उतनी ही राशि की निष्पादन बैंक गारंटी देनी होगी।

3.7 अनुमतिधारी को निर्धारित समयावधि के भीतर अनुमति प्रदाता को वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति प्रदाता के पास अनुमतिधारी द्वारा निष्पादित बैंक गारंटी को बिना किसी पूर्व सूचना के भुनाने का अधिकार होगा। अनुमति प्रदाता का इस प्रकार का अधिकार किसी ऐसी कार्रवाई जो इस अनुमति के निबंधन व शर्तों के तहत अनुमति प्रदाता को करनी पड़े, के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा।

4. <u>अनुमति की अवधि</u>

4.1 यह अनुमति निम्न वर्णित प्रभावी तिथि से 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। इस अनुमति अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा और यह अनुमति, जब तक कि इसे समय से पहले रद्द अथवा वापस न ले लिया जाए, दस वर्ष की अवधि समाप्त होते ही स्वत: समाप्त हो जाएगी और इसके बाद अनुमतिधारी को अनुमति समाप्त होने के पश्चात् चैनल का संचालन जारी रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।

4.2 अनुमति अवधि को मानने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2005 होगी।

5. <u>एफएम प्रसारण करने हेतु अपेक्षाएं</u>

5.1 अपेक्षित उपकरणों तथा प्रणालियों के अधिष्ठापन एवं प्रचालन और साथ ही इस प्रचालन के कारण उत्पन्न होने वाले दावों एवं नुकसानों के लिए भी अनुमतिधारी ही जिम्मेदार होगा। कार्यक्रम सम्पर्कों समेत ट्रांसमीटर का स्वामित्व अनुमतिधारी का ही होगा।

5.2 अनुमतिधारी जो मुम्बई स्थित अंतरिम सुविधा से चैनल का प्रचालन कर रहा है, अपनी प्रचालन व्यवस्था सह-अवस्थिति सुविधा में इसे प्रचालित किए जाने के तत्काल बाद परंतु प्रचालित किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर अंतरित करेंगे। (केवल मुम्बई में स्थित मौजूदा चैनलों के लिए लागू)

6. <u>भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम तथा अन्य कानूनों की प्रयोज्यता</u>

6.1 यह अनुमति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के उपबंधों जिन्हें समय-समय संशोधित किया गया है और प्रसारण पर लागू कोई अन्य कानून जो लागू हुआ हो अथवा लागू किया जा सकता है, के तहत अभिशासित होगी।

7. कुछ कार्यकलापों पर निषेध

7.1 यह अनुमति अहस्तांतरणीय है। अनुमतिधारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उप-अनुमति मंजूर करने में सक्षम नहीं होगा।

7.2 ट्रांसमीटर तथा प्रोग्राम लिंक अनुमतिधारी के स्वयं के होंगे और वह 50 प्रतिशत से अधिक प्रसारण उपस्करों को दीर्घकालिक आधार पर किराए पर अथवा पट्टे पर नहीं लेगा। ('दीर्घकालिक' का आशय लगातार 11 माह से अधिक की अवधि है चाहे वह मूलत: निर्धारित हो अथवा उसी पक्षकार द्वारा बार-बार नवीकृत/पट्टे का विस्तार करके)।

7.3 अनुमतिधारी, किसी दीर्घावधिक उत्पादन अथवा प्रापण व्यवस्था के माध्यम से कुल सामग्री के 50 प्रतिशत सामग्री से अधिक का आउटसोर्स नहीं करेगा जिसमें से कुल सामग्री का 25 प्रतिशत से अधिक का किसी एकल सामग्री-प्रदाता द्वारा आउटसोर्स नहीं किया जाएगा ('दीर्घावाधि' का आशय लगातार 11 माह से अधिक की अवधि है जिसमें बार-बार नवीकृत किया जाना शामिल है)। आउटसोर्स सामग्री की मात्रा की गणना तिमाही आधार पर की जाएगी।

टिप्पणी : आउटसोर्सिंग के प्रयोजनार्थ **"कुल सामग्री"** में विज्ञापन शामिल नहीं होंगे जब तक कि आउटसोर्स कार्यक्रम के पैकेज में विज्ञापन शामिल न हो जैसाकि प्रायोजित कार्यक्रमों के मामले में होता है। सामान्य एजेंसी कारोबार के जरिए प्रत्यक्ष रूप से बेचे गए विज्ञापन समय को आउटसोर्सिंग में शामिल नहीं किया जाएगा।

7.4 अनुमतिधारी किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा इनसे संबंधित कम्पनियों (जैसाकि इसकी सहायक अथवा होल्डिंग कम्पनी, सदृश प्रबंधन वाली कोई कम्पनी तथा कोई अंतर-संबंधित उपक्रम), को छोड़कर किसी अन्य अनुमतिधारियों अथवा कम्पनियों के साथ उधार लेने अथवा देने की व्यवस्था संबंधी कोई करार नहीं करेगा, जिससे सामग्री के प्रापण अथवा प्रसारण अथवा इनके विपणन अधिकारों से संबंधित प्रबंधन अथवा सृजनात्मक विवेकाधिकार बाधित हो सकता है।

7.5 अनुमतिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पक्षकार जिससे कोई कार्यक्रम आउटसोर्स किया जाता हो और किसी विज्ञापन एजेंसी के मध्य कोई संबंध नहीं है।

7.6 अनुमतिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रसारण चैनल पर दिखाई जाने वाली कोई भी सामग्री, संदेश, विज्ञापन अथवा सूचना, आपत्तिजनक, अश्लील, अप्राधिकृत अथवा भारतीय कानून के विरुद्ध नहीं है।

7.7 इस करार में किए गए विशेष प्रावधान को छोड़कर, अनुमतिधारी इस करार के तहत किसी अन्य पक्षकार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने अधिकारों को नहीं सौंपेगा अथवा अंतरित करेगा अथवा किसी तीसरे पक्षकार के साथ अनुमति विषयक मामले से संबंधित उप-अनुमति हेतु संपूर्ण

अथवा आंशिक तौर पर कोई करार सम्पन्न नहीं करेगा। इन शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करार-भंग समझा जाएगा।

8. क्रॉस मीडिया स्वामित्व

8.1 यदि अनुमति अवधि के दौरान क्रॉस मीडिया स्वामित्व से संबंधित सरकारी नीति की घोषणा की जाती है तो अनुमतिधारी इस प्रकार की अधिसूचना जारी होने की तिथि से छः माह के भीतर उक्त नीति में यथा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, ऐसा न करने पर इसे अनुमति मंजूरी करार की अवमानना समझा जाएगा और वह दण्डात्मक कार्रवाई का पात्र होगा। तथापि, यदि अनुमतिधारी किसी सदाशयी कारणों जिससे अनुमति प्रदाता संतुष्ट हो, से क्रॉस मीडिया प्रतिबंधों का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं है, तो अनुमतिधारी को एक महीने का बहिर्गमन नोटिस देने का विकल्प दिया जाएगा और शेष अवधि हेतु प्रवेश शुल्क जिसकी गणना यथानुपात आधार पर की जाएगी, अनुमतिधारी को वापस कर दिया जाएगा।

9. राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य शर्तें

9.1 अनुमति प्रदाता के पास जनहित में अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु ऐसी अवधि अथवा अवधियों जिसका वह निर्देश दे, के लिए अनुमतिधारी की अनुमति को अस्थायी

तौर पर रद्द करने का अधिकार होगा और अनुमतिधारी तत्काल अनुमति प्रदाता के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

9.2 अनुमति प्रदाता के पास इस अनुमति के निबंधन व शर्तों को किसी भी समय संशोधित करने का अधिकार होगा यदि उसके विचार से राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा जनहित में ऐसा करना अपेक्षित अथवा समायोजित हो। इस मामले में अनुमति प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

9.3 अनुमतिधारी द्वारा उनकी सेवाओं के बावत अधिष्ठापन, अनुरक्षण तथा प्रचालन हेतु नियुक्ति, संविदा, परामर्शदात्री आदि के जरिए तैनात किए जाने वाले सभी विदेशी कर्मियों को उनकी तैनाती से पूर्व भारत सरकार से सुरक्षा क्लियरेंस प्राप्त करनी होगी।

10. <u>शेयरहोल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं</u>

10.1 अनुमतिधारी अनुमति प्रदाता की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य अथवा नए शेयरधारकों को अधिकांश शेयरधारकों/प्रमोटरों के शेयरों का अंतरण करके कम्पनी के स्वामित्व पैटर्न में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसकी मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अनुमति प्रदाता इस बात से संतुष्ट न हो कि नए शेयरधारक सभी निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। ऐसी अनुमति इसे प्रचालित करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी।

10.2 यदि अनुमति अवधि के दौरान एफडीआई/एफआईआई संबंधी सरकारी नीति में संशोधन किया जाता है तो अनुमतिधारी ऐसी अधिसूचना जारी करने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर संशोधित नीति का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, ऐसा न करने पर इसे अनुमति मंजूरी करार की अवमानना समझा जाएगा और वह दण्डात्मक कार्रवाई का पात्र होगा।

11. <u>कार्यक्रम सामग्री और प्रसारण की गुणवत्ता</u>

11.1 अनुमतिधारी केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथापेक्षित अधिकतम एक घंटा प्रतिदिन सार्वजनिक हित की घोषणाएं भी प्रसारित करेगा जिस प्रयोजनार्थ दिनभर के लिए उपयुक्त/आनुपातिक समय स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे। यदि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की कुल मांग एक घंटा प्रतिदिन से अधिक होती है तो संबंधित राज्य सरकार केन्द्र सरकार की मांग पूरी करने के पश्चात् शेष बचे समय में ही उद्घोषणाएं करने की पात्र होगी।

11.2 अनुमतिधारी उसी कार्यक्रम तथा विज्ञापन कोडों का अनुसरण करेगा जिनका ऑल इंडिया रेडियो करता है जो समय-समय पर संशोधित होते हैं अथवा कोई अन्य लागू कोड जिसे प्रवृत्त किया जाए।

11.3 अनुमतिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि इसके द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में से कम से कम पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) कार्यक्रम भारत में ही निर्मित हों।

11.4 अनुमतिधारी प्रसारित सामग्रियों के लिए विशेष तौर पर जिम्मेदार होगा और उसके द्वारा प्रसारित सामग्रियों के कारण होने वाले नुकसान अथवा किए जाने वाले दावों हेतु क्षतिपूर्ति करेगा और अनुमति प्रदाता को क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

11.5 अनुमतिधारी को सामान्यत: स्थानीय एवं रंग-बिरंगी सामग्रियां तैयार करने और गुणवत्तापरक कार्यक्रम उपलब्ध कराने जो सामग्री एवं प्रासंगिकता की दृष्टि से स्थानीय रूचि वाले हों, के उद्देश्यार्थ कार्य करना होगा।

12. <u>तकनीकी पैरामीटर</u>

12.1 अनुमतिधारी सेवा के प्रसारण तथा श्रव्य गुणवत्ता हेतु निम्नलिखित तकनीकी पैरामीटरों तथा मानकों का अनुपालन करेंगे।

12.2 एंटीना सहित प्रसारण उपकरणों को निम्नलिखित तकनीकी पैरामीटरों के अनुरूप होना होगा :

श्रेणी	**आधार**	**प्रभावी विकिरणित शक्ति**	**एंटीना की ऊंचाई (मीटर)**

	(निम्नलिखित में से एक या एकाधिक)	(ईआरपी) (कि.वा.)			
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
क+	महानगर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई	25	50	75 75	200 175
क	20 लाख से अधिक आबादी	10	30	75	150
ख	10 लाख से अधिक परंतु 20 लाख से कम आबादी	5	15	50	100
ग	3 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी	3	10	30	75
घ	1 लाख से	1	3	20	40

	अधिक परंतु 3 लाख से कम आबादी				

एंटीना पोलराइजेशन - वृत्ताकार

स्टीरियोफोनिक प्रसारण प्रणाली - पाइलट-टोन

प्री एम्फॅसिस - 50 माइक्रोसेकंड

अधिकतम झुकाव - +/- 75 किलोहट्र्ज

(**नोट :** ऐसे मामलों में जहां स्थलाकृति संबंधी अड़चनों अथवा उपयुक्त प्रसार भारती टावर जो 'ईहाट' के निर्धारित अंकों का अनुपालन करते हों, की अनुपलब्धता के कारण 'ईहाट' द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना संभव न हो सके, अनुमति प्रदाता को अपने ट्रांसमीटरों की ईआरपी सही करनी होगी ताकि अधिकतम ईआरपी तथा अधिकतम 'ईहाट', जो भी निर्धारित हो, के समामेल के कारण आरएफ सिगनल इससे आगे बढ़ने न पाए।)

12.3 अनुमतिधारी प्रत्येक शहर में एफएम ध्वनि प्रसारण हेतु श्रव्य एवं प्रसारण मानकों का अनुपालन करेगा जो आईटीयू-आर (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) की सिफारिशों के अनुसार अर्थात् 450-1, 467, 646 और 644-1 निर्धारित है।

12.4 अनुमतिधारी एफएम उप-संवाहकों जब कभी भी यह प्रारंभ किया जाए, पर आंकड़ा प्रसारण संबंधी तकनीकी मानकों का भी अनुपालन करेगा जो आईटीयू-आर सिफारिशों के अनुसार अर्थात् 643-1 तथा बीएस-1194 निर्धारित है।

13. अनुवीक्षण तथा जन शिकायतें

13.1 अनुमतिधारी कम से कम तीन माह हेतु प्रसारित कार्यक्रमों के भण्डारन हेतु स्वचालित लॉगर की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करेगा जिसकी सुलभता बेसिल अथवा इसके प्रतिनिधियों के नियंत्रणाधीन रहेगी। इसके अतिरिक्त, अनुमतिधारी अनुवीक्षण प्रभार के अपने हिस्से का भुगतान करेगा जो उस शहर हेतु सभी अनुमतिधारियों हेतु समानुपातिक आधार पर आकलित 25000/-रु. प्रति माह है। इस राशि का भुगतान मैसर्स बेसिल को तिमाही आधार पर प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ होते ही एक सप्ताह के भीतर अग्रिम रूप से करना होगा।

13.2 अनुमतिधारी स्वयं अपने खर्चे पर प्रसारित कार्यक्रमों की रिकार्डिंग प्रसारण तिथि से तीन माह की अवधि हेतु सुरक्षित रखेगा और जब कभी भी इसकी आवश्यकता हो, इसे उचित शीघ्रता को साथ अनुमति प्रदाता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रस्तुत करेगा।

13.3 अनुमतिधारी ऐसी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा जो उसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में जनता द्वारा की गई शिकायतों के निपटारे हेतु अनुमति प्रदाता द्वारा अपेक्षित हों।

13.4 अनुमतिधारी अनुमति प्रदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में निश्चित समयांतराल पर ऐसी सूचनाएं भेजेगा जो प्रसारित कार्यक्रमों की सामग्री तथा गुणवत्ता, तकनीकी पैरामीटर आदि के संबंध में अनुमति प्रदाता द्वारा अपेक्षित हों।

14. <u>निरीक्षण</u>

14.1 अनुमति प्रदाता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। अनुमति प्रदाता के पास, विशेष रूप से प्रसारण सुविधाओं जैसे स्टूडियो, लिंक उपकरण तथा प्रणाली और ट्रांसमीटर कॉम्प्लेक्स आदि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। इस निरीक्षण के लिए अनुमति प्रदाता के अधिकारों के प्रयोग हेतु किसी पूर्वानुमति/पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। यदि अनुमति प्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित हो, अनुमतिधारी अपने कार्यकलापों तथा प्रचालनों के किसी विशेष पहलू का सतत् अनुवीक्षण करने हेतु अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करेगा।

14.2 अनुमति प्रदाता सामान्यत: ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां इस प्रकार के नोटिस से निरीक्षण का प्रयोजन व्यर्थ हो जाता हो, उचित नोटिस देने के पश्चात् निरीक्षण करेगा।

15. <u>अनुमति प्रदाता को सूचना भेजना</u>

15.1 अनुमतिधारी इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से (मुम्बई के मामले में सह-अवस्थिति की सुविधा को स्थानांतरित करने से एक माह के भीतर) एक माह की अवधि के भीतर इस करार के **अनुलग्नक-I** में दिए गए फॉर्मेट में बेसिल द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अपनी प्रचालन रिपोर्ट भेजेगा।

15.2 अनुमतिधारी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें लेखा-परीक्षित लेखे, लाभ व हानि लेखे, तुलन-पत्र, शेयरहोल्डिंग, निदेशक मंडल तथा कम्पनी के मुख्य कार्यकारी और इस करार के **अनुलग्नक-II** में दिए गए फॉर्मेट में 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर को समाप्त तिमाही हेतु भेजी जाने वाली तिमाही रिपोर्टें शामिल हैं, के अतिरिक्त अनुमतिधारी अनुमति प्रदाता को ऐसे समयांतराल पर अथवा ऐसे समय पर ऐसे दस्तावेज, रिपोर्टें, लेखे, अनुमान, रिटर्न अथवा ऐसी अन्य सूचनाएं भेजेगा जो अनुमति प्रदाता द्वारा अपेक्षित हों।

15.3 प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अनुमतिधारी **अनुलग्नक-III** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार चैनल हेतु अंतिम लेखाओं के एक भाग के रूप में सकल राजस्व से संबंधित एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जो सांविधिक लेखाकारों द्वारा विधिवत प्रमाणित होगा। यह नोट किया जाए कि **अनुलग्नक-III** में विनिर्दिष्ट आय शीर्ष केवल सांकेतिक एवं उदाहरण स्वरूप हैं और लेखा-परीक्षक इसके तहत सकल राजस्व के योग्य सभी प्रासंगिक शीर्षों को शामिल करेंगे चाहे उक्त फॉर्मेट में शामिल किया गया हो अथवा नहीं। इसके अलावा, संबंधित पक्षकारों की आय का लेखांकन मानक संख्या 18 के अनुरूप संबंधित पक्षकारों की अनुसूची के साथ

मिलान करना होगा। इसके अतिरिक्त, अनुमतिधारी प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में निम्नलिखित सूचनाएं प्रकटित करेगा जो सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित होंगी :

1. कुल व्यापार तथा अन्य छूट
2. कुल एजेंसी कमीशन
3. कुल संबंधित पक्षकार लेनदेन

15.4 अनुमतिधारी **अनुलग्नक-IV** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार लेखा-परीक्षित लेखाओं समेत उपर्युक्त खण्ड 7.2 से 7.4 के अनुपालन हेतु सांविधिक लेखाकारों से प्राप्त एक प्रमाणपत्र वार्षिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

16. <u>अन्य पक्षकारों के साथ विवाद</u>

16.1 अनुमतिधारी और अनुमति प्रदाता (अनुमति तथा/अथवा प्रसारण सेवाओं से संबंधित विवाद सहित) को छोड़कर अन्य किसी पक्षकार के साथ चाहे किसी भी कारण से क्यों न हो, किसी विवाद की स्थिति में, ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से अथवा अन्यथा निबटाने की एकमात्र जिम्मेदारी अनुमतिधारी की ही होगी और इस संबंध में अनुमति प्रदाता की किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, अनुमतिधारी एतद्द्वारा अपनी ओर से, एजेंटों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों अथवा सेवकों की ओर से किसी भी भूल-चूक हेतु अनुमति प्रदाता को/के विरुद्ध किसी कार्रवाई, दावा, कानूनी कार्रवाई, कार्यवाही,

नुकसान अथवा नोटिस के संबंध में अनुमति प्रदाता को क्षतिपूर्ति देने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का वचन देता है।

बशर्ते कि यदि अनुमतिधारी द्वारा इस अनुमति करार में विनिर्दिष्ट किसी नियम अथवा विनियम अथवा किसी अन्य निबंधन व शर्तों का पालन न करने अथवा उल्लंघन करने के कारण से ऐसा कोई तृतीय पक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो अनुमति प्रदाता के पास इस करार में की गई व्यवस्था के अनुसार अनुमतिधारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

17. <u>लेखे तैयार करना</u>

17.1 अनुमतिधारी अनुमति प्रदाता को प्रत्येक वित्त वर्ष अथवा इसके कुछ भाग से संबंधित लेखा विवरण, एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जिसमें अनुमतिधारी की वार्षिक रिपोर्ट सहित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हो, भेजेगा। इस संदर्भ में ''लेखा-परीक्षक'' से कम्पनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं के अनुसार वर्तमान में नियुक्त किए जा रहे अनुमतिधारी का लेखा-परीक्षक अभिप्रेत होगा।

17.2 अनुमतिधारी प्रत्येक चैनल हेतु पृथक वित्तीय लेखाओं का रखरखाव करेगा जिसकी लेखा-परीक्षा लेखा-परीक्षक द्वारा की जाएगी।

17.3 यह प्रमाणित करने के लिए कि सकल राजस्व का प्रकटन सही तरीके से किया गया है, अनुमति प्रदाता के पास यह अधिकार होगा कि वह चैनल के लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अथवा अपने विवेकाधिकार से किसी अन्य व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा करवाए। लेखा परीक्षक और सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा आकलित वित्तीय परिणामों के बीच कोई अंतर होने की स्थिति में, सरकार द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षकों के अभिमत, बशर्ते कि अनुमतिधारी को सुनवाई का अवसर प्राप्त हो, चैनल के सकल राजस्व के निर्धारण की सीमा तक मान्य होंगे और इस प्रकार की लेखा-परीक्षा से संबंधित व्यय अनुमतिधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

18. <u>गोपनीयता</u>

18.1 लागू विधानों के शर्ताधीन, अनुमतिधारी एतद्द्वारा इस करार की अवधि के दौरान निम्नलिखित हेतु सहमत है (अन्य पक्षकार की लिखित पूर्व सहमति को छोड़कर) :

(क) वह अपने कर्मचारियों, एजेंटों तथा/अथवा सलाहकारों को छोड़कर (केवल उसी सीमा तक जहां तक सामान्य कारोबार हेतु तथा/अथवा लागू विधान द्वारा अपेक्षित हो) किसी तीसरे पक्षकार को इस करार के ब्यौरे का प्रकटन नहीं करेगा;

(ख) यह पक्षकारों के मध्य आदान-प्रदान की गई सभी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखेगा जिनमें मूल्य संबंधी सूचनाएं और मालिकाना संबंधी अन्य जानकारियां शामिल होंगी, और वह इन सूचनाओं का उपयोग किसी तीसरे पक्षकार के लाभार्थ नहीं करेगा।

19. <u>पात्रता शर्तों का अनुपालन</u>

19.1 अनुमतिधारी संपूर्ण करार अवधि के दौरान निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करना जारी रखेगा।

20. <u>नेटवर्किंग की मनाही</u>

20.1 अनुमतिधारी किसी अन्य चैनल के साथ अपने चैनलों की नेटवर्किंग नहीं करेगा।

20.2 अनुमतिधारी द्वारा किसी 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के शहरों में नेटवर्किंग की जा सकती है यदि उनके चैनल उसी क्षेत्र में स्थित अन्य 'ग' अथवा 'घ' श्रेणी के शहर में भी हों।

21. स्टूडियो की अवस्थिति :

21.1 खण्ड 20.2 के उपबंधों के शर्ताधीन, अनुमतिधारी शहर में ही स्टूडियो स्थापित करेगा और एफएम चैनल हेतु एक विशेष स्टूडियो होगा। हालांकि, क+ तथा क श्रेणी के शहरों हेतु अनुमति के मामले में स्टूडियो नगर निगम/निगम/नगर

विकास प्राधिकारण की सीमा से बाहर लगाए जा सकते हैं। दिल्ली के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी इसमें शामिल होगा। महानगरों तथा 'क' श्रेणी के शहरों के मामले में इसमें किसी विशेष शहर हेतु अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित महानगरीय क्षेत्र शामिल होंगे।

22. <u>अधित्याग</u> :

22.1 इस करार के तहत किसी भी उपबंध अथवा बाध्यताओं के अनुपालन तथा निष्पादन में अनुमतिधारी द्वारा किसी चूक का अधित्याग :

(क) केवल इस बात से नहीं माना जाएगा कि अनुमति प्रदाता की ओर से निष्क्रियता अथवा कार्रवाई में विलम्ब हुआ है और यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक यह लिखित रूप से न हो तथा अनुमति प्रदाता का कोई सक्षम प्राधिकारी इसे निष्पादित करे;

(ख) इससे संबंधित अथवा इस करार के तहत अन्य उपबंधों अथवा बाध्यताओं से संबंधित किसी चूक अथवा परवर्ती चूकों को छूट के रूप में प्रचालित अथवा समझा नहीं जाएगा।

(ग) इस करार की वैधता अथवा प्रवर्तन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।

23. <u>विविध</u>

23.1 अनुमतिधारी अन्य अनुमतिधारियों की तुलना में वाणिज्यिक लाभ उठाने के लिए किसी ब्रैण्ड नाम अथवा मालिक का नाम अथवा किसी कारपोरेट समूह के नाम का उपयोग नहीं करेगा। अनुमतिधारी किसी मौजूदा कम्पनी, उत्पाद अथवा सेवा, ब्रैण्ड नाम का उपयोग एफएम स्टेशन/चैनल पहचान के रूप में नहीं करेगा।

23.2 निविदा दस्तावेज, **अनुमति प्रदाता** अथवा प्रसारण सेवाओं हेतु विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अथवा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आशय-पत्र तथा आदेश/दिशानिर्देश और बेतार योजना तथा समन्वयन स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा-4 के तहत जारी किए जाने वाले बेतार प्रचालन लाइसेंस इस करार के अभिन्न अंश होंगे।

23.3 इस अधिनियम में कहीं भी निहित किसी भी शर्त के बावजूद, अनुमति की मंजूरी इस शर्त के अधीन होगी कि जब कभी भी देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित एवं इसका अनुवीक्षण करने के बावत कोई विनियामक प्राधिकरण गठित किया जाता है, तो अनुमतिधारी को ऐसे प्राधिकरण द्वारा भारत में प्रसारण सेवाओं के विनियमन तथा अनुवीक्षण हेतु निर्धारित मानकों, नियमों व विनियमों अथवा प्रयोज्य विधानों का भी अनुपालन करना होगा। अनुमतिधारी को सभी प्रकार के पर्यावरणीय क्लियरेंस, यदि कोई हो, को प्राप्त करके प्रभावी रखना होगा और विद्युत अधिनियम, संयंत्र अधिनियम तथा अन्य लागू अधिनियमों की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

23.4 यह अनुमति समाचार तथा समसामयिक कार्यक्रमों को छोड़कर मुख्य संवाहक पर श्रव्य तथा उप-संवाहक पर डाटा के फ्री-टू-एअर प्रसारण के लिए है। तथापि, अनुमतिधारी द्वारा डाटा प्रसारण के बावत दूरसंचार विभाग से कोई लाइसेंस प्राप्त करने की स्थिति में अनुमतिधारी को प्रस्तावित सेवाओं का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अनुमति प्रदाता से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी, जो ऐसी शर्तों के अधीन मंजूर की जा सकती है जिसमें अनुमति प्रदाता को यह लगे कि इससे प्रसारण सेवा के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा।

23.5 अनुमतिधारी निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन करने से पहले अनुमति प्रदाता से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा।

23.6 अनुमतिधारी अपनी कम्पनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में किए गए परिवर्तन के बारे में अनुमति प्रदाता को ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर अन्य पात्रता शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए सूचित करेगा। इसके अतिरिक्त, अनुमतिधारी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की स्थितिनुसार अपनी कम्पनी में प्रमोटरों तथा प्रमुख शेयरधारी कम्पनियों की इक्विटी में एफडीआई/एफआईआई निवेशों की मात्रा की जानकारी देगा ताकि यथानुपात आधार पर कुल विदेशी निवेश का आकलन किया जा सके।

24. <u>विशेष आकस्मिक स्थिति</u>

24.1 यदि किसी भी समय किसी युद्ध, शत्रुता, दुश्मनों की कार्रवाई, नागरिक अशांति, तोड़फोड़, आगजनी, बाढ़, राज्य की कार्रवाई, धमाके, महामारी, रोगजनित प्रतिबंध, हड़ताल जिससे प्रभावित पक्षकार के किसी भी दायित्व निर्वहन में द्रव्यात्मक नुकसान हो या किसी दैवी घटना के कारण किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी दायित्व के निर्वहन में या तो संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से, बाधा आती है अथवा विलम्ब होता है (जिनमें से सभी अथवा किसी एक को इसके बाद "विशेष आकस्मिक स्थिति" कहा गया है) कोई भी पक्षकार ऐसी विशेष आकस्मिक स्थिति के कारण न तो इस अनुमति को समाप्त करने का पात्र होगा और न ही दोनों में से कोई भी पक्षकार इस प्रकार के गैर-निष्पादन अथवा विलम्ब के कारण हुए नुकसानों के लिए कोई दावा करेगा बशर्ते कि प्रभावित पक्षकार अप्रभावित पक्षकार को इस प्रकार की स्थिति होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर इस प्रकार विशेष आकस्मिक स्थिति होने की सूचना न दे। इसके अतिरिक्त, इस अनुमति के तहत, ऐसी विशेष आकस्मिक स्थिति के समाप्त होने अथवा अस्तित्व में न रहने के तत्काल बाद जैसे ही व्यवहार्य हो सेवाएं पुनः प्रारंभ की जाएंगी। इस प्रकार सेवाएं पुनः शुरू की जाएं अथवा नहीं, इस बारे में अनुमति प्रदाता का निर्णय अंतिम एवं निर्णयात्मक होगा।

24.2 यदि इस प्रकार की विशेष आकस्मिक स्थिति के कारण अनुमतिधारी की प्रसारण सेवाएं दो माह से अधिक की अवधि तक बंद रहती हैं तो दोनों पक्षकार भावी कार्रवाई के बारे में मिल बैठकर चर्चा करेंगे।

24.3 यदि अनुमति प्रदाता ने किसी विशेष आकस्मिक स्थिति के बाद प्रसारण सेवा को जारी रखने का निर्णय लिया है तथा इस बावत अनुमतिधारी को लिखित रूप से सूचित कर दिया है, तो उपर्युक्त किसी विशेष आकस्मिक स्थिति के कारण अनुमति प्रदाता देय वार्षिक शुल्क में किसी भी तरह की छूट देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, अनुमति प्रदाता ऐसे समुचित मामलों में अपने विवेकाधिकार से छूट की अनुमति दे सकता है जहां विशेष आकस्मिक स्थिति दो माह से अधिक जारी रहने के कारण अनुमतिधारी प्रसारण सेवा पुन: शुरू न कर सका हो।

25. <u>चूक हेतु अनुमति का निलंबन, प्रतिसंहरण अथवा रद्दकरण</u>

25.1 प्रसारण समाप्ति हेतु

25.1.1 अनुमति प्रदाता अपनी अनुमति को उस स्थिति में वापस ले सकता है यदि चैनल का प्रसारण किसी भी कारण से छ: माह से अधिक बंद रहता है।

25.2 चैनल के दुरुपयोग तथा निदेशों की अनुपालना न किए जाने हेतु

25.2.1 अनुमतिधारी द्वारा अपनी सुविधाओं का उपयोग किसी आपत्तिजनक, अप्राधिकृत सामग्री, संदेश अथवा संचार का प्रसारण करने दिए जाने जो सार्वजनिक हित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप न हो अथवा जो उपर्युक्त खण्ड 9.1 के अनुसार निर्देशों का अनुपालन न करता हो, की स्थिति में मंजूर की गई अनुमति वापस ले ली जाएगी और अनुमतिधारी को अन्य लागू कानूनों के तहत दण्डित करने के साथ-साथ भविष्य में ऐसी अनुमति प्राप्त करने के बावत अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

25.3 अनुमति संबंधी पात्रता शर्तों अथवा निबंधन व शर्तों के उल्लंघन हेतु

25.3.1 खण्ड 23.2.1 के प्रति कोई पक्षपात किए बिना, अनुमतिधारी द्वारा अनुमति संबंधी किसी भी निबंधन व शर्तों अथवा एफएम रेडियो नीति के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में, अनुमति प्रदाता को निम्नलिखित प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा :

(क) प्रथम उल्लंघन हेतु अनुमति को रद्द करना तथा 30 दिनों तक प्रसारण सेवा पर रोक लगाना।

(ख) द्वितीय उल्लंघन हेतु, अनुमति को रद्द करना तथा 90 दिनों तक प्रसारण सेवा पर रोक लगाना।

(ग) तृतीय उल्लंघन हेतु अनुमति को वापस लेना और अनुमति की शेष अवधि हेतु प्रसारण सेवा पर रोक लगाना।

25.3.2 निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुमतिधारी द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के अनुपालन में विफलता/चूक के परिणामस्वरूप उनसे अनुमति वापस ले ली जाएगी और अनुमति की शेष अवधि हेतु प्रसारण सेवा पर रोक लगा दी जाएगी और पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई भी नई अनुमति प्राप्त करने के बावत अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

25.3.3 अनुमति रद्द किए जाने की स्थिति में जैसाकि उपर्युक्त खण्ड 9.1 अथवा खण्ड 23.3.1 में वर्णित है, अनुमतिधारी इस अनुमति के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान करना भी शामिल है।

25.3.4 अनुमतिधारी द्वारा पात्रता शर्तों से संबंधित उल्लंघनों को एक न्यायोचित समय के भीतर दुरूस्त न कर पाने की स्थिति में, अनुमतिधारी से अनुमति वापस ले ली जाएगी और अनुमतिधारी को एकमुश्त गैर प्रत्यर्पणीय प्रवेश शुल्क से हाथ धोना पड़ेगा।

25.3.5 अनुमति वापस लिए जाने की स्थिति में, अनुमतिधारी को एकमुश्त गैर प्रत्यर्पणीय प्रवेश शुल्क से हाथ धोना पड़ेगा। उपर्युक्त कोई प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में चैनल के प्रचालन हेतु किसी निवेश जो पूंजी तथा प्रचालन व्यय सीमा में न हो, हेतु अनुमति प्रदाता जिम्मेदार नहीं होगा।

25.3.6 अनुमतिधारी को लिखित नोटिस जिसमें उल्लंघन का उल्लेख हो, जारी करने, यदि उल्लंघन का स्वरूप इसकी अनुमति दे तो इसे सुधारने का अवसर दिए जाने अथवा अन्यथा 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद ही ऊपरोल्लिखित प्रतिबंध अथवा प्रतिसंहरण लगाया जाएगा और इस प्रकार के सुधार और/अथवा बताए गए कारण संतोषप्रद न होने पर अनुमतिधारी प्रस्तावित कार्रवाई हेतु दायी होगा।

25.4 सुविधाओं की समाप्ति

25.4.1 अनुमतिधारी अनुमति प्रदाता तथा साथ ही सभी संबंधित/प्रभावित पक्षों जिनमें इस प्रसारण सेवा के श्रोतागण शामिल हैं, को एक माह का अग्रिम नोटिस देकर अपनी अनुमति का परित्याग तथा इस करार को समाप्त कर सकता है। हालांकि, अनुमतिधारी दायित्वों, इसमें निहित निबंधन व शर्तों जिनमें नोटिस अवधि के दौरान प्रसारण की गुणवत्ता हेतु शर्तें शामिल हैं, का अनुपालन करना जारी रखेगा और ऐसा न करने पर इसे अनुमति शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

25.4.2 अनुमति परित्याग करने की स्थिति में, अनुमति प्रदाता (अपने विवेकाधिकार से) प्रसारण सेवा को जारी रखने के प्रयोजनार्थ अनुमतिधारी से एफएम रेडियो प्रसारण चैनल का दायित्व स्वयं ले सकता है अथवा प्रसारण सेवा को जारी रखने हेतु किसी अन्य योग्य कम्पनी को अनुमति जारी कर सकता है। अनुमतिधारी नए अनुमतिधारी अथवा अनुमति प्रदाता को अनुमति और उन सभी परिसंपत्तियों जो परस्पर सम्मत हर्जाने के भुगतान करने पर प्रसारण सेवा जारी रखने हेतु अनिवार्य एवं आवश्यक हों, के अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बाध्य है।

26. <u>विवाद निपटान तथा क्षेत्राधिकार</u>

26.1 इस करार के तहत अथवा इससे संबंधित कोई प्रश्न, विवाद अथवा मतांतर उत्पन्न होने की स्थिति में, ऐसे मामले को छोड़कर जिससे संबंधित निर्णय की व्यवस्था इसके तहत की गई हो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 के शर्ताधीन, को सचिव, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार अथवा उनके नामिति ("**विवाचक**") के एकल विवाचन हेतु भेजा जाएगा।

26.2 कोई भी ऐसी नियुक्ति कि विवाचक सेवक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। विवाचक का निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों हेतु बाध्यकारी होगा। विवाचक जिनके पास मूलतः वह मामला भेजा गया हो, के अंतरण अथवा पद छोड़ने अथवा किसी भी कारण कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ होने की स्थिति में, सचिव, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार किसी अन्य व्यक्ति को विवाचक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

26.3 विवाचन एवं निपटारा अधिनियम, 1996, इसके तहत निरूपित नियम और इनमें संशोधन, जो इस समय प्रवृत्त हो, पूर्वोक्त विवाचन कार्यवाहियों पर लागू समझे जाएंगे। विवाचन स्थल दिल्ली अथवा कोई ऐसा स्थान होगा जो विवाचक तय करे। विवाचन संबंधी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में निष्पादित की जाएगी।

26.4 पूर्वोक्त किसी भी अथवा प्रत्येक संदर्भ में निर्णय हेतु कार्यवाही से संबंधित लागतों, ब्याज तथा आकस्मिक खर्चे विवाचक विवेकाधिकार में होगा।

इस करार के साक्ष्य के रूप में, पक्षकारों द्वारा ऊपरोल्लिखित तिथि, माह तथा वर्ष को यह करार संपन्न किया गया है।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से
हस्ताक्षरित, निष्पादित एवं सुपुर्द
.....द्वारा
सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी धारी
..... की ओर से
हस्ताक्षरित, निष्पादित तथा सुपुर्द,
दिनांक .....

दिनांक ..... को
..... द्वारा बोर्ड के
संकल्पानुसार निष्पादित

अनुलग्नक-I

अनुमतिधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली

प्रचालन रिपोर्ट हेतु प्रोफॉर्मा

1. शहर का नाम :

2. अनुमतिधारी का नाम तथा पता :

3. अनुमतिधारी की एफएम रेडियो प्रसारण सुविधा संबंधी स्थिति का ब्यौरा :

	कार्यकलाप	**दिनांक (दिन/माह/वर्ष)**
(i)	अनुमति प्रदाता से आशय-पत्र प्राप्त होने की तिथि	
(ii)	फ्रीक्वेंसी आबंटन हेतु डब्ल्यूपीसी को आवेदन भेजने की तिथि	
(iii)	एसएसीएफए क्लियरेंस हेतु डब्ल्यूपीसी को आवेदन भेजने की तिथि	
(iv)	फ्रीक्वेंसी आबंटन प्राप्त होने की तिथि	
(v)	एसएसीएफए क्लियरेंस प्राप्त होने की तिथि	
(vi)	प्रसार भारती के साथ करार पर हस्ताक्षर करने	

	की तिथि	
(vii)	बेसिल के साथ करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि	
(viii)	जीओपीए पर हस्ताक्षर करने की तिथि	
(ix)	अनुमति जारी करने की तिथि	
(x)	एफएम रेडियो चैनल अधिष्ठापन कार्य पूरा करने की तिथि	
(xi)	डब्ल्यूपीसी द्वारा बेतार प्रचालन लाइसेंस जारी करने की तिथि	
(xii)	अनुमतिधारी द्वारा प्रसारण प्रारंभ करने की तिथि	

4. स्टूडियो स्थल के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें

(क) क्षेत्र

(ख) कोऑर्डिनेट्स

(ग) डाक पता

(घ) फ्री होल्ड अथवा पट्टे पर

(ड.) यदि पट्टे पर है तो पट्टे की अवधि

(च) क्या यह स्थल नगर/निगम/शहर विकास प्राधिकरण की सीमा के भीतर है?

5. **अधिष्ठापित प्रसारण उपकरण के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दें :**

(क) ट्रांसमीटर का इफेक्टिव रेडिएटेड पावर (ईआरपी)

(ख) औसत भूभाग से ऊपर एंटीना की कारगर ऊंचाई (ईहाट)

(ग) एंटीना पोलराइजेशन

(घ) एंटीना गेन

(ड.) स्टीरियोफॉनिक प्रसारण प्रणाली

(च) लगाए जाने वाला पूर्व-प्रबलन

(छ) अधिकतम अपसरण

6. **स्टूडियो की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दें :**

(क) स्टूडियो/बूथों की संख्या तथा प्रकार।

(ख) मिक्सिंग तथा स्विचिंग प्रणालियों का संक्षिप्त ब्यौरा।

(ग) रिकार्डिंग/प्लेबैक उपकरण का संक्षिप्त ब्यौरा।

(घ) एसटी लिंक, यदि प्रयुक्त हो, का ब्यौरा।

7. क्या फील्ड क्षमता/रिसेप्शन सर्वेक्षण करवाया गया है? इस रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।

8. प्राप्त किए गए विद्युत आपूर्ति कनेक्शन से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरा दें :

(क) जोड़

(ख) आपूर्ति वोल्टेज

(ग) 3 फेज हैं अथवा एक फेज

9. क्या अग्निशमन व्यवस्था हेतु सिफारिशें प्राप्त कर ली गई हैं और पर्याप्त संख्या में अग्निशमन उपकरण लगाए गए हैं?

10. क्या टावर लाइटिंग संबंधी विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है और इसके लिए अपेक्षित सुविधाएं जुटा ली गई हैं?

11. क्या अनुमतिधारी द्वारा तैयार की गई सामग्री की निरंतर रिकार्डिंग तथा अनुवीक्षण जैसाकि प्रसारणों के संबंध में सार्वजनिक शिकायतों निबटाने के बावत सरकार द्वारा अपेक्षित है, की व्यवस्था कर ली गई है?

12. क्या अनुमतिधारी लाइसेंस संबंधी शर्तों में विनिर्दिष्ट एफएम ध्वनि प्रसारण हेतु श्रव्य एवं प्रसारण मानकों का अनुपालन कर रहा है?

.....

अनुमतिधारी के प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता के नाम, पदनाम तथा

हस्ताक्षर

दिनांक : .....

द्वारा अधिप्रमाणित :

बेसिल के प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता के नाम, पदनाम

तथा हस्ताक्षर

दिनांक : .....

<u>अनुलग्नक-II</u>

अनुमतिधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट हेतु प्रोफॉर्मा

(..... को समाप्त तिमाही हेतु रिपोर्ट)

भाग-क (कार्यक्रम सामग्री)

1. शहर का नाम
2. अनुमतिधारी का नाम तथा पता
3. प्रसारण घंटे तथा समय
4. प्रसारित किए जाने वाले/किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दें
   (क) डिब्बाबंद कार्यक्रम की प्रतिशतता
   (ख) स्थानीय स्तर पर निर्मित कार्यक्रम की प्रतिशतता
   (ग) स्थानीय स्तर पर निर्मित कार्यक्रमों के मामले में, इसका प्रकार जैसेकि सांस्कृतिक, खेलकूद आदि बनाएं
   (घ) भारत में निर्मित कार्यक्रमों की प्रतिशतता
   (ड.) सार्वजनिक हित की घोषणाएं, यदि कोई हों। इसकी अवधि बताएं
5. क्या अनुमतिधारी कोई आंकड़ा प्रसारण कर रहा है? यदि हां, तो ब्यौरा दें

6. क्या अनुमतिधारी कार्यक्रम विषयवस्तु तथा प्रसारण की गुणवत्ता के संबंध में अनुमति मंजूरी करार में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कर रहा है?

7. विज्ञापनों पर लगाए गए समय की प्रतिशतता बताएं।

भाग-ख (सार्वजनिक शिकायतें)

1. क्या अनुमतिधारी ने उसके द्वारा निर्मित सभी कार्यक्रमों की निरंतर मॉनीटरी, रिकार्डिंग तथा संरक्षण हेतु अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की है?

2. क्या अनुमतिधारी अनुमति के निबंधन व शर्तों के अनुसार उसके द्वारा प्रसारित सामग्री की रिकार्डिंग प्रसारण तिथि से 3 माह तक सुरक्षित रख रहा है?

3. इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा स्वरूप के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दें (अवधि बताएं) :

   (क) शिकायतों की संख्या

   (ख) शिकायतों का स्वरूप

   (ग) निबटाई गई शिकायतों की संख्या

   (घ) लम्बित शिकायतों की संख्या

4. क्या ऐसा कभी हुआ है कि शिकायतों को निबटाने की प्रक्रिया में (3 में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान) अनुमति प्रदाता को सामने आने पड़ा हो? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।

भाग-ग (इक्विटी का ब्यौरा)

राशि (रु. लाख में) प्रतिशत

(क)	प्राधिकृत पूंजी			

(ख)	जारी तथा शोधित पूंजी		राशि (रु. लाख में)	प्राधिकृत पूंजी के प्रतिशत के रूप में

(ग)	इक्विटी धारिता का वर्गीकरण		राशि (रु. लाख में)	शोधित पूंजी (ख) के प्रतिशत के रूप में

(i)	भारतीय प्रमोटरों/अधिकांश शेयरहोल्डरों द्वारा धारित कुल इक्विटी			

(ii)	प्रमोटरों/अधिकांश शेयरहोल्डिंग कम्पनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की यथानुपातिक हिस्सेदारी			

(iii)	भारतीय वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक			

(iv)	अन्य भारतीय शेयरधारक			

(v)	बैंकों तथा वित्तीय संस्थान इक्विटी के कुल शोधित इक्विटी निवल की तुलना में अधिकांश शेयरधारकों की प्रतिशतता			

(vi)	प्रत्यक्ष एफडीआई धारिता (ओसीबी, पीआईओ, एनआरआई आदि सहित) कुल इक्विटी धारिता			

(vii)	अप्रत्यक्ष एफडीआई/एफआईआई (भारतीय प्रमोटरों तथा अथवा अधिकांश शेयरधारकों में एफडीआई की यथानुपातिक हिस्सेदारी)			

(viii)	विदेशी संस्थागत निवेशकों/ पोर्टफोलियो निवेश			

(ix)	कुल विदेशी इक्विटी धारिता [(viii) + (ix) + (x)] वार्षिक व्यवसाय (आंकड़ा संलग्न किया जाएगा – संलग्न वर्षों हेतु चिन्ह लगाएं)			

.....

अनुमतिधारी की ओर से प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम

तथा हस्ताक्षर

दिनांक : .....

<u>अनुलग्नक-III</u>

मैसर्स ..... के अंतिम लेखाओं का भाग बनाने के लिए सकल राजस्व का विवरण।

क्र.सं.	आय शीर्ष	प्रशुल्क दर/ रेट कार्ड	छूट		एजेंसी का कमीशन	कर	पी और एल लेखाओं के अनुसार निवल
			ट्रेड	अन्य			
							(राशि रूपए लाख में)
1.	विज्ञापन						
2.	प्रोत्साहन कार्यकलाप						
2.1.	संगीत/स्टार कार्यकलाप						
2.2.	प्रायोजित कार्यक्रम						
3.	विपणन अधिकार						
4.	कमीशन						
5.	रॉयल्टी						

6.	रिकॉर्डिड कैसेटों/सी डी इत्यादि का विक्रय						
7.	किराया-परिसर						
8.	किराया-उपस्कर						
9.	ब्याज/लाभांश						
10.	संबंधित पक्षकार लेनदेन						
10.1	विक्रय किया गया माल						

10.2	प्रदान की गई सेवाएं						
10.3	प्रॉडक्शन						
10.4	विपणन						
10.5							
10.6							

<u>नोट :</u>

1. आय शीर्ष केवल संकेत और उद्धरण हैं और लेखा - परीक्षक लाइसेंसधारी के सभी प्रासंगिक शीर्षों को शामिल करेंगे।

2. लेखा व्यवस्था मानक संख्या 18 के अनुसार संबंधित पक्षकारों से आय का अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ मिलान किया जाएगा।

(लेखा – परीक्षक)

अनुलग्नक-IV

एफएम अनुमतिधारी के लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

हमने 31 मार्च, 20..... को समाप्त वित्त वर्ष हेतु ..... की लेखा बहियों की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि

(1) मैसर्स ....., एफएम रेडियो सेवा प्रचालन हेतु अनुमतिधारी प्रत्येक चैनल हेतु पृथक वित्तीय लेखाओं का रखरखाव करता है।

(2) अनुमतिधारी के मालिकों के स्वामित्व वाली एवं नियंत्रित कम्पनियों से प्राप्त अथवा प्रदत्त सामान व सेवाओं का मूल्यांकन सामान्य वाणिज्यिक दरों पर किया जाता है और सकल राजस्व का आकलन करने हेतु लेखा बहियों में शामिल किया जाता है।

(3) अनुमतिधारी ने अपनी कुल सामग्री का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई दीर्घावधिक निर्माण अथवा प्रापण, व्यवस्था, के जरिए आउटसोर्स नहीं की है जिसमें से एक ही सामग्री प्रदाता को 25 प्रतिशत से अधिक सामग्री आउटसोर्स नहीं की गई है।

(4) अनुमतिधारी ने दीर्घावधिक आधार पर पचास प्रतिशत से अधिक प्रसारण उपकरण किराए पर अथवा पट्टे पर नहीं लिया है।

(5) अनुमतिधारी ने मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर किसी उधार अथवा ऋण अथवा अन्य वाणिज्यिक व्यवस्थाओं हेतु कोई समझौता नहीं किया है जिससे सामग्री के प्रापण अथवा प्रसारण संबंधी प्रबंधन या सृजनात्मक विवेकाधिकार अथवा

विपणन अधिकारों का प्रयोग बाधित हो।

(लेखा – परीक्षक)